

प्रेषण,

श्री अमोळ याचुकी,
तंत्रज्ञता परिषद्
उत्तर प्रदेश संसद ।

तेवा ५

संविधान
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा वेदा २ तंत्रज्ञता केन्द्र
श्रीति विद्यार नई दिल्ली ।

शिक्षा १७१ अनुदान

तिथन्दः दिनांक: ६ अ८, १९९७

विषय:- STO जगदीश भेदोरियन परिषद् तंत्रज्ञता शिक्षा प्रान्तशास्त्र औ ती०बी०
स्त०इ० नई दिल्ली ते तंत्रज्ञता है उनापाति प्रबोधन पर शिक्षा बाबा।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निषेद्ध है कि STO जगदीश
भेदोरियन परिषद् तंत्रज्ञता शिक्षा प्रान्तशास्त्र औ ती०बी०स्त०इ० नई दिल्ली ते
तंत्रज्ञता है उनापाति प्रबोधन पर दिये जाने में का राज्य तरावार औ निम-
निधित प्रतिबन्धों के उच्चीन आपाति नहीं है :-

111 विद्यालय की दैवोकृत तोतायदी का तम्य तम्य पर नवीनीकरण
करारा जायेगा ।

121 विद्यालय की प्रबोधन तमिति में शिक्षा निदेश द्वारा नामित
एक नदाय दीगा ।

131 विद्यालय में कम ते अध दूत प्रतिक्रिया स्थान अनुमूलित जाति/
अनुमूलित कावाति हे व्यवहारों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा तंत्रज्ञता विद्यालयों में
विभिन्न व्यावहारों के लिए नियमित शुल्क के उधिक शुल्क नहीं
शिक्षा जायेगा ।

141 तंत्रज्ञता द्वारा राज्य तरावार हे जिसी अनुदान की बाँग नहीं की
जायेगी और यदि यूर्ब में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् हे
उपकार वेत्तिक शिक्षा परिषद् ते मान्यता प्राप्त हे तथा विद्यालय
की तंत्रज्ञता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वीतिक कार दि
इतिहास रक्षा विभाग इवान्मिश्र, नई दिल्ली ते प्राप्त होती
हे तो उस परीक्षा परिषद्वारों ते तंत्रज्ञता प्राप्त होने की लियि
हे परिषद् ते मान्यता तथा राज्य तरावार ते अनुदान स्वतः
तमाप्त हो जायेगी ।

151 तंत्रज्ञता वेत्तिक लवं विभाग विभागिता कर्मियारियों को राज्यीय तात्परता
प्राप्त शिक्षा तंत्रज्ञता के कर्मियारियों को अनुमूलित वेत्तिमानों तथा
अन्य भूतों से अध वेत्तिमान तथा अन्य भूती नहीं दिये जायेगे ।

161 कर्मियारियों की तेवा इसी बायायी जायेगी और उन्हें तंत्रज्ञता
प्राप्त ज्ञानात्मक उप्यतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियारियों
की अनुमूलित तेवा नियुक्ति का राज्य उपर्युक्त कराये जायेगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा सभ्यतम्य दर जो भी उद्देश निर्गत किये जाएँगे, तेस्वा उनका पालन करेंगी ।

18। प्रदूषण का रिकॉर्ड निर्धारित प्रधार/वंचितर्ड्डी में रखा जायेगा ।

19। उपर शास्त्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुबोधन के बिना कोई वरित्तन/तीर्त्तन पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उपर प्रतिवर्णी वी पालन उनका हेतु यह कि अनिवार्य होना और वह किसी तम्य यह पापा जाता है कि हेतु यह द्वारा उपर प्रतिवर्णी वी पालन नहीं किया जा सकता है अब यह पालन करने में किसी प्रश्न की घुस पर विविधता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदृष्ट अनाधारित प्रमाण पर वापस ही निया जायेगा ।

भवदीय,

अपोक गांधी
त्युक्त संघिय ।

पृष्ठ ० दिन ११/१५-७-१९९९ तद्दिनांक

प्रतिविष्ट निम्नवित्त वो तुपनार्थ एवं अवश्यक कार्यालयी ऐसु देखित :-

1- प्रिया निटेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- कर्मलीय तंत्रज्ञ निया निटेश, लखनऊ ।

3- निया विद्यालय निरीक्षक, कुलन्दगढ़ ।

4- निरीक्षक, झाँका भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, STO जगदीश नेमोरियल परिवक इकूल डिवार्ड कुलन्दगढ़ ।

उत्तर है,

अपोक गांधी
त्युक्त संघिय ।